

बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :- 73/12-13

(1) परिचयात्मक :-

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम — जिला गोपाल गंज स्थित सहायताप्राप्त साहु जैन मध्य विद्यालय, मीरगंज (अल्पसंख्यक) के शिक्षक/शिक्षकोत्तर कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु प्राप्त राशि का अंकेक्षण ।

(ख) अंकेक्षण का लेखावधि — 2006-07 से 2010-11 तक

(ग) प्रशासी विभाग का नाम — मानव संसाधन (विकास) विभाग प्राथमिक बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री

पदा0 का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल —

1. श्री अभीमुनी शर्मा, जिला शिक्षा अधीक्षक 1.4.06 से 1.7.06 तक
2. श्री नितीश चन्द्र मंडल, जिला शिक्षा अधीक्षक 1.7.06 से 18.3.08 तक
3. श्री राकेश कुमार चौधरी जिला शिक्षा अधीक्षक 18.3.08 से 29.6.11 तक

(ङ) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी

पदा0 एवं कर्मचारियों का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल —

1. श्री राजेश्वर तिवारी, प्रधानाध्यापक 1.4.06 से 31.3.11

(च) अंकक्षण में सहयोग देनेवाले

पदा०/कर्म० का नाम , पदनाम —

1. श्री वृजनन्दन सिंह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
2. श्री राजेश्वर तिवारी, प्रधानाध्यापक
3. श्री रामपदार्थ राम, प्रधान सहायक

(छ) अंकक्षकों के नाम —

1. श्री रमेश प्रसाद , व० अं०— 2
2. श्री अशोक कुमार ओझा , व० अं०—2

(ज) अंकक्षण प्रारंभण तिथि —

दि० 14.10.11 (सम्मिलित रूप से)

(झ) अंकक्षण समाप्ति तिथि —

दि० 31.5.2012

(ञ) अंकक्षण में व्यतीत कार्य दिवस — 7 कार्य दिवस।

(ट) अंकक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

अंकक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' संलग्न हैं।

(2) अंकक्षण का क्षेत्र —

(i) अंकक्षण का प्रकार — सामान्य ।

(ii) वित्त (अंकक्षण) विभाग का आदेश संख्या एवं तिथि —

विभागीय ज्ञापांक 3286/दि० 15.09.60

(iii) कार्यालय का कार्यक्षेत्र —

विद्यालय में नामांकित बच्चों को शिक्षा प्रदान करना एवं अनुशासन सिखाया है।

(iv) वित्तीय स्रोत — अनुदान एवं आवंटन

वित्तीय वर्ष 2006—07 से 2008—09 में अनुदान एवं वर्ष 2009—10 से 2010—11 में आवंटन प्राप्त हुआ था। उक्त अवधि में अनुदान एवं आवंटन सम्मिलित रूप से जिला शिक्षा अधीक्षक, गोपालगंज को प्राप्त हुआ था। विस्तृत विवरणी अंकक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ख' संलग्न है।

(v) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति : — सत्यापन शत प्रतिशत किया गया— हों।

जिला गोपालगंज अंतर्गत सहायता प्राप्त मध्य विद्यालय का वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 का प्राप्त आवंटन से संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक, गोपालगंज द्वारा निकासी राशि का सत्यापन जिला कोषागार गोपालगंज के अभिलेखों एवं कम्प्यूटर सी0 डी0 से शत प्रतिशत किया एवं सही पाया गया।

(vi) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति :- महालेखाकार का पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया।

(vii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :-

कार्यालय द्वारा पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(3) वित्तीय समीक्षा :-

1. आवंटन की स्थिति में – क्या आवंटन से अधिक की निकासी की गयी है– नहीं।
2. अनुदान की स्थिति में – क्या अनुदान से अधिक राशि का व्यय किया गया– नहीं।
3. प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था– नहीं।
4. रोकड़ पुस्त में संवरण शेष के नकद राशि का भौतिक सत्यापन की स्थिति– भौतिक सत्यापन नहीं किया गया– नहीं।

जिला शिक्षा अधीक्षक/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गोपालगंज के द्वारा अल्पसंख्यक/सहायता प्राप्त सभी चार विद्यालयों का रोकड़ पुस्त एक साथ संधारण किया गया था। सहायता प्राप्त/अल्पसंख्यक मध्य विद्यालयों का रोकड़ पुस्त का संधारण अलग- अलग नहीं किया गया था। साथ ही अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक रोकड़ पुस्त दिनांक 28.3.11 तक ही लिखा पाया गया। अतः रोकड़ का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका।

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण :-

	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	अधिक/कम
प्रधानाध्यापक	01	01	—
सहायक शिक्षक	05	05	—
आदेशपाल	—	—	—

भाग— 2

(शून्य)

भाग— 3 (सुझावात्मक)

(5) अंकेक्षण का संक्षिप्त मंतव्य :—

(i) अनुदान की अवशेष राशि रू0 2625.00 रोकड़ पंजी के आय पक्ष में अंकित करने के सम्बन्ध में :—

अल्पसंख्यक /सहायताप्राप्त मध्य विद्यालयों के रोकड़ पंजी (जिला कार्यक्रम पदा0 कार्यालय) दि0 31.12.07 से दिनांक 17.06.09 तक के अवलोकन/जाँचक्रम में रू0 2625.00 अवशेष के रूप में दि0 17.6.09 को पाया गया। इस रोकड़ पंजी के बाद दूसरा नया रोकड़ पंजी का संधारण दि0 2.1.10 से शून्य से प्रारम्भ किया गया। इस नये रोकड़ पंजी में पूर्व के रोकड़ पंजी की अवशेष राशि रू0 2625.00 को प्रारम्भ शेष के रूप में नहीं लिया गया पाया गया।

उल्लेखनीय है कि रू0 2625.00 निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, बिहार, पटना से सहायताप्राप्त/अल्पसंख्यक मध्य विद्यालयों के शिक्षण के वेतन के भुगतान हेतु प्राप्त बैंक ड्राफ्ट की अवशेष राशि थी।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि “रोकड़ पंजी के आय पक्ष में इस राशि की प्रविष्टि कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को सूचित कर दिया जायेगा।

अतः अनुदान की अवशेष राशि रू0 2625.00 को संबंधित रोकड़ पंजी के आय पक्ष में अंकित करते हुए इस अनुदान की राशि को मानव संसाधन विभाग (प्राथमिक शिक्षा) को वापस किया जाय तथा अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

(ii) रू0 4754.00 व्ययगत होने के सम्बन्ध में :—

वर्ष 2009—10 में रू0 5900000.00 का आवंटन प्राप्त था जिसमें से रू0 5895246.00 की निकासी की गयी थी। इस प्रकार रू0 4754.00 अवशेष रहा। इस अवशेष राशि को प्रत्यार्पण नहीं किया गया और यह राशि व्ययगत (लैप्स) हो गयी। भविष्य में इस बिन्दु पर

ध्यान रखा जाय कि कोई भी राशि व्ययगत (लैप्स) न हो तथा ससमय प्रत्यार्पित कर किया जाये।

(iii) बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 86 एवं 105 (अ) में प्रावधान है कि प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ पुस्त के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाय। तत् सम्बन्धी प्रमाण पत्र रोकड़ पुस्त में अंकित किया जायेगा। परन्तु उक्त नियमों का पालन नहीं किया गया।

(iv) रोकड़ पंजी के आय पक्ष एवं व्यय पक्ष में प्रविष्ट आय- व्यय की राशि की तिथियों में क्रमिक एकरूपता नहीं पाया गया। भविष्य में इसे दृढ़ता पूर्वक पालन किया जाय।

(v) वर्ष 2009 -10 एवं 2010-11 में रोकड़ पंजी के आय पक्ष में आवंटित राशि को अंकित किया गया था जबकि आवंटित राशि के विरुद्ध कोषागार द्वारा निकासी की गयी राशि को आय पक्ष में अंकित किया जाना चाहिए था। भविष्य में इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान रखा जाय।

(vi) अल्पसंख्यक/सहायता प्राप्त मध्य विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के वेतनादि भुगतान के प्रमाण में भुगतान पंजी में चेक संख्या/लेखा संख्या/अन्य प्रमाण प्राप्ति के रूप में अंकित नहीं पाया गया। भविष्य में वेतनादि भुगतान से संबंधित प्रमाण को वेतन भुगतान पंजी में अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

उप लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्ता का नाम

(1)

(2)

“NISHU”

परिशिष्ट 'क' कांडिका – 1 'ट' से संबंधित

प्रस्तुत अभिलेख

1. विपत्र पंजी 2009—10 एवं 2010—11 (सम्मिलित रूप से)
2. रोकड़ पंजी 31.12.07 से 10—11 तक (डी० एस० सी० सम्मिलित रूप से)
3. आवंटन संचिका/पत्र
4. वेतन भुगतान पंजी (डी० एस० सी० कार्यालय)
5. वेतन भुगतान पंजी (संबंधित विद्यालय)
6. बैंक विवरणी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या – 16928 का 06—07 से 17.6.10 तक नया खाता सं० 1784242394
7. सेवा पुस्त – आंशिक।

अप्रस्तुत अभिलेख

1. रोकड़ पुस्त 1.4.06 से 30.12.07 तक (डी० एस० सी० कार्यालय का)
2. चेक ड्राफ्ट पंजी
3. चेक आगत (निर्गत पंजी)
4. बैंक पंजी
5. बैंक पास बुक
6. बैंक विवरणी (अन्य बैंकों का)
7. शिक्षक/शिक्षकेत्तर कमियों के वेतनादि भुगतान से संबंधित [अभिश्चव/प्रमाण](#) पत्र
8. अनुदान एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संचिका
9. सामान्य रोकड़ पुस्त (अनुदान से संबंधित)
10. विभिन्न बैंकों के चेकों की अद्यकष्टी
11. सामान्य रोकड़ पुस्त (आवंटन से संबंधित)
12. रोकड़ पुस्त (विद्यालयों का)
13. सेवा पुस्त – आंशिक
14. पूर्व का अंकक्षण प्रतिवेदन

15. उच्च पदाधिकारी का निरीक्षण प्रतिवेदन
16. रेमिटेन्स रजिस्टर
17. बकाया वेतन भुगतान की विवरणी
18. भविष्य निधि पासबुक

परिशिष्ट 'ख' प्रतिवेदन की कंडिका 2 (iv) से संबंधित

जिला शिक्षा अधीक्षक, गोपालगंज को सहायता प्राप्त/अल्पसंख्यक मध्य विद्यालयों के लिए सम्मिलित रूप से अनुदान, आवंटन तथा सहायता प्राप्त/ अल्प संख्यक साहु जैन मध्य विद्यालय, मीरगंज के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों का वर्षवार व्यय विवरणी :-

शीर्ष 2202 शिक्षा

आय- व्यय विवरणी

वर्ष	प्रारम्भण शेष	कुल आय	योग	कुल व्यय (सम्मिलित रूप से)	संवरण शेष	अभियुक्ति
2006-07	—	2961649.00	2961649.00	2961649.00	—	—
2007-08 (31.12.07 से)	3619940	2823877.00	2860076.40	2847776.00	12300.40	—
2008-09	12300.40	2808000.00	2820300.40	2613379.00	206921.40	—

आवंटन एवं व्यय विवरणी

वर्ष 2009-10 के आय- व्यय पक्ष में सम्मिलित

वर्ष	कुल आवंटन	कुल व्यय (सम्मिलित रूप से)	अधिक व्यय	बचत	अभियुक्ति
09-10	5900000.00	5895246.00	—	4754.00	व्ययगत
10-11	6413809.00	6388688.00	—	25121.00	पत्रांक 293 दि० 1.3.11 द्वारा प्रत्यार्पित

अल्पसंख्यक/सहायता प्राप्त साहु जैन मध्य विद्यालय, मीरगंज के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का व्यय — जिला शिक्षा अधीक्षक/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा भुगतान की विवरणी :-

वर्ष	साहु जैन मध्य विद्यालय मीरगंज के कर्मियों का भुगतान (व्यय)
2006—07	583782.00
2007—08	513335.00
2008—09	432952.00
2009—10	1212767.00
2010—11	1310316.00
कुल —	4053152.00